रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072023-247578
CG-DL-E-24072023-247578

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 24, 2023/श्रावण 2, 1945
No. 427] NEW DELHI, MONDAY, JULY 24, 2023/SHRAVANA 2, 1945

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 533(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 2 के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का-निर्माण (भारत का G20 अध्यक्षता के अवसर पर स्मारक सिक्कों जारी करना) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्कों का मूल्यवर्ग.- "भारत का G20 अध्यक्षता" के अवसर पर केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टकसाल में निम्नलिखित मूल्य वर्ग के सिक्कों को ढाला जाएगा:-

(i) एक सौ रुपये; और

(ii) पचहत्तर रुपये।

3. सिक्कों की विमा और संरचना.- नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्य वर्गो के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :-

सिक्के का मूल्य वर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	**चतुर्थक मिश्र धातु** रजत - 50 प्रतिशत तांबा - 40 प्रतिशत निकिल - 05 प्रतिशत जस्ता - 05 प्रतिशत
पचहत्तर रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	**चतुर्थक मिश्र धातु** रजत - 50 प्रतिशत तांबा - 40 प्रतिशत निकिल - 05 प्रतिशत जस्ता - 05 प्रतिशत

4. **डिज़ाइन.-** सिक्कों का डिज़ाइन इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार .- भारत का G20 अध्यक्षता के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्यवर्ग के ढाले गए सिक्कों का मानक वजन और ऐसे सिक्कों को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची

(नियम 4 देखें)

(i) एक सौ रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे **"सत्यमेव जयते"** लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में **"भारत"** शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में **"INDIA"** शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक **"₹"** और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य **"100"** भी होगा ।

पृष्ट भाग:

सिक्के के इस भाग के मध्य में भारत का G20 अध्यक्षता का लोगो का डिज़ाइन होगा। ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में **"वसुधैव कुटुम्बकम्"** लिखा होगा और निचली परिधि पर अंग्रेजी में "**ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE**" लिखा होगा।

(ii) पचहत्तर रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे **"सत्यमेव जयते"** लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में **"भारत"** शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में **"INDIA"** शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक **"₹"** और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य **"75"** भी होगा ।

पृष्ट भाग:

सिक्के के इस भाग के मध्य में भारत का G20 अध्यक्षता का लोगो का डिज़ाइन होगा। ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में **"वसुधैव कुटुम्बकम्"** लिखा होगा और निचली परिधि पर अंग्रेजी में "ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE" लिखा होगा।

दूसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	35 ग्राम	चांदी के लिए 1/500वां हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात् चांदी का अंश प्रति 1000 में 498 से 502 के बीच हो सकेगा।	1/100वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक हो सकता है।
पचहत्तर रुपये	35 ग्राम	चांदी के लिए 1/500वां हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात् चांदी का अंश प्रति 1000 में 498 से 502 के बीच हो सकेगा।	1/100वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक हो सकता है।

[फा. सं. 02/19/2022-सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economics Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2023

G.S.R. 533(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 read with clauses (a) and (b) of section 2 of the Coinage Act, 2011#(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coins on the Occasion of India's G20 Presidency) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coins**.- The coins of the following denominations shall only be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of **"**India's G20 Presidency**"**-

(i) One hundred rupees; and

(ii) Seventy-five rupees.

3. **Dimension and composition of coins**.- The coins of the denominations referred to in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely:-

Denomination of the coins	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One hundred rupees	Circular 44 millimeters	200	Quaternary Alloy Silver - 50 per cent.; Copper - 40 per cent.; Nickel - 05 per cent.; and Zinc - 05 per cent.
Seventy-five rupees	Circular 44 millimeters	200	Quaternary Alloy Silver - 50 per cent.; Copper - 40 per cent.; Nickel - 05 per cent.; and Zinc - 05 per cent.

4. **Design**.- The design of the coin shall be as specified in the First Schedule to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed**.- The standard weight of the coins of the denominations referred to in rule 2, coined to commemorate the occasion of India's G20 Presidency and the remedy allowed in making of such coins shall be as specified in the Second Schedule to these rules.

First Schedule

(See rule 4)

(i) ONE HUNDRED RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend **"सत्यमेव जयते"** inscribed below, flanked on the left periphery with the word **"भारत"** in Devnagari script and on the right periphery with the word "**INDIA**" in English. It shall also bear the Rupee symbol "₹`" and denominational value "**100**" in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of the coin shall bear the design of the logo of India's G20 Presidency in the centre. The inscription **'वसुधैव कुटुम्बकम्'** shall be written in Devnagari script on the upper periphery of the coin and the inscription "**ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE**" in English shall be written on lower periphery of the coin.

(ii) SEVENTY FIVE RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend **"सत्यमेव जयते"** inscribed below, flanked on the left periphery with the word **"भारत"** in Devnagari script and on the right periphery with the word "**INDIA**" in English. It shall also bear the Rupee symbol "**₹**`" and denominational value "**75**" in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of the coin shall bear the design of the logo of India's G20 Presidency in the centre. The inscription **'वसुधैव कुटुम्बकम्'** shall be written in Devnagari script on the upper periphery of the coin and the inscription "**ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE**" in English shall be written on lower periphery of the coin.

Second Schedule

(See rule 5)

Denomination of the coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	35 Grams	1/500th plus or minus for Silver, that is to say, the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100th plus or minus, that is to say, the weight could vary from 34.65 grams to 35.35 grams.
Seventy five Rupees	35 Grams	1/500th plus or minus for Silver, that is to say, the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100th plus or minus, that is to say, the weight could vary from 34.65 grams to 35.35 grams.

[F. No. 02/19/2022-Coin]

APARNA BHATIA, Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.07.24 23:23:33 +05'30'